संख्या- 115 /अड़तीस-7-2015-200नरेगा/2009

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,

अनु सचिव,

उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,

उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 03 फरवरी, 2015

विषय महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर जनपद/ब्लाक स्तर पर नियुक्त सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की सेवा अवधि में विस्तार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 2245/अड़तीस-7-2012-200नरेगा/2009 दिनांक: 04-10-2012 एवं शासनादेश संख्या-1390/अड़तीस-7-2012-200नरेगा/2009 दिनांक: 04-07-2012, शासनादेश संख्या-4050/अड़तीस-7-2012-324नरेगा/2012टीसी दिनांक: 16-12-2013, शासनादेश संख्या-756/अड़तीस-7-2012-324नरेगा/2012टीसी दिनांक: 25-03-2014 तथा शासनादेश संख्या-1413/अड़तीस-7-2014-324नरेगा /2012टीसी दिनांक: 31-07-2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों, जिनकी सेवाएं दिनांक: 31-12-2014 को समाप्त हो गयी हैं, की सेवाएं दिनांक: 31-03-2015 तक अथवा आउट सोर्सिंग के आधार पर जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स के योगदान करने की तिथि तक, जो भी पहले हो, को निम्नलिखित शर्तों के साथ विस्तारित की जाती हैं:-

1- दिनांक: 31-12-2014 को जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत उन्हीं कोआर्डिनेटरों की सेवाओं को विस्तारित किया जायेगा, जिनका कार्यकलाप संतोषजनक रहा हो।

2- सेवा विस्तार की अवधि में जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों को पूर्ववत रू0 12,000.00 मासिक मानदेय तथा रू0 3000.00 यात्रा भत्ता तथा इसी प्रकार ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों को रू0 8,000.00 मासिक मानदेय तथा रू0 2000.00 नियत यात्रा भत्ता का भुगतान अनुमन्य होगा।

3- संविदा के आधार पर सेवा विस्तार की अवधि दिनांक: 31-03-2015 को पूर्ण होगी और इस तिथि को संविदा अवधि स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

4- सेवा विस्तार की अवधि में जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन निष्ठापूर्वक किया जायेगा और वह अपने आचरण को अच्छा एवं अनुशासित रखेगा।

5- सेवा विस्तार की अवधि में जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर किसी अन्य पद पर वेतन अथवा पारिश्रमिक पर योजित नहीं होगा।

6- जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह या सेवा विस्तार की अवशेष अवधि, जो भी कम हो, की नोटिस अथवा नोटिस के बदले उस अवधि के लिए मानदेय का भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।

7- दिनांक: 31-03-2015 तक संविदा सेवा विस्तार की अवधि में कोई विवाद होने की दशा में निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0 का निर्णय सर्वमान्य होगा। संविदा सेवा के संबंध में निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0 द्वारा यथावश्यक निर्देश दिये जायेंगे।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

संख्या- 115(1)/अड़तीस-7-2015 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।